

प्रश्न,

उत्तर
विद्ययालय
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

विद्ययालय
उत्तर प्रदेश शासन
विद्ययालय
उत्तर प्रदेश शासन

दिनांक 17/1 अनुभाग

संख्या: दिनांक : 19 अगस्त, 1952

विषय:- उत्तर प्रदेश विद्ययालय अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विद्ययालयों के संघ-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

महोदय,

उत्तर प्रदेश विद्ययालय अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विद्ययालयों के संघ-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

संबद्धता हेतु अनायास प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्न-लिखित प्रतिबंधों के अधीन अनायास नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सांतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफोर्ड इकजासिगेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वही से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0मा0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 151 संस्था वैयक्तिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा की जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पोजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री १११/१५-७-७३

पू०स०- २६४१

१११/१५-७-७३-तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, ३०५०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, लखनऊ ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

श्री १११/१५-७-७३

श्री १११/१५-७-७३